भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2470
दिनांक 10 दिसंबर, 2024/ 19 अग्रहायण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा से निपटने की तैयारी और जलवायु-सहायता

†2470. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर चक्रवात, बाढ़ और भू-स्खलन जैसी संकटकारी मौसम संबंधी घटनाओं के दौरान अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा से निपटने की तैयारी और सहायता को बढ़ाने के लिए सरकार की व्यापक योजना ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की केरल-वायनाड क्षेत्र में, जहां प्राय: प्राकृतिक आपदाएं, विशेषकर बाढ़ और भू-स्खलन घटित होती हैं, अतिरिक्त संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यनीति है;
(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान केरल को आपदा राहत, आपदा प्रबंधन और जलवायु-सहायता परियोजनाओं के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है और उक्त राज्य में इस निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;
(घ) केरल के वायनाड जिले में वाइतिरि तालुक के मेप्पडी पंचायत के पुंजीरीमट्टम, मुंडक्की, चूरालमाला और वेल्लारीमाला गांवों में हाल ही में हुए भूस्खलन के संबंध में वायनाड के लिए विशेषत: आवंटित की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने इन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थानीय आपदा प्रबंधन क्षमता और पूर्व-चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई नए कार्यक्रम शुरु किए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) व (ङ): आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 2470, दिनांक 10.12.2024

प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) तैयार की थी, जिसे वर्ष 2019 में अद्यतन और संशोधित किया गया। एनडीएमपी आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए सरकारी एजेंसियों को एक रूपरेखा और दिशा प्रदान करता है। यह देश में आपदा प्रतिरोधी विकास को और मजबूत करने का एक रणनीतिक उपकरण है।

एनडीएमपी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के क्षेत्र में, वर्ष 2015 के बाद के तीन प्रमुख वैश्विक फ्रेमवर्क, नामतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर), सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता,और प्रधान मंत्री के 10-सूत्रीय एजेंडे से जुड़े राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को शामिल करता है।

एनडीएमपी केंद्र और राज्य स्तर के सभी क्षेत्रों, मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों को एक साथ लाता है और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। यह उत्तरदायित्व की रूपरेखा में किसी भी अस्पष्टता को समाप्त नहीं तो कम करने की आवश्यकता को पहचानता है।

साथ ही, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप और उसके अनुसरण में वर्ष 2009 में तैयार और अनुमोदित किया गया है, जिसका उद्देश्य रोकथाम, शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना था।

उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थानीय आपदा प्रबंधन क्षमता और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने की केंद्र सरकार की पहल में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- भारत सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी है जिसमें केरल राज्य सहित 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम शमन गतिविधियों / परियोजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है। अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार वायनाड सहित केरल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए शमन गतिविधियों के लिए अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकती है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 2470, दिनांक 10.12.2024

- सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए बहु-जोखिम आपदा संभावित 350 जिलों में आपदा से बचाव हेतु आपदा मित्र योजना का कार्यान्वयन किया गया है और 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक स्वयंसेवक - आपदा मित्र या आपदा सखी - को आपदा में प्रतिक्रिया के लिए (उनके संचालन के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक) दो सप्ताह का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है, एक आपातकालीन प्रतिक्रिया किट (ईआरके) से सुसज्जित किया जाता है, और पांच साल के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले को आपदाओं के दौरान आपदा मित्र के उपयोग के लिए एक आपातकालीन आवश्यक संसाधन रिजर्व (ईईआरआर) प्रदान किया जाता है।

- कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली (सीएपी) की विभिन्न प्रसार माध्यमों, जैसे, एसएमएस, टीवी, रेडियो, भारतीय रेलवे, कॉस्टल सायरन, सेल प्रसारण, इंटरनेट (आरएसएस फ़ीड और ब्राउज़र अधिसूचना), गगन और नाविक के उपग्रह रिसीवर आदि, का उपयोग कर और सभी चेतावनी एजेंसियों के एकीकरण के माध्यम से, सभी 36राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में भारत के नागरिकों को आपदाओं से संबंधित भू-लक्षित प्रारंभिक चेतावनियों / अलर्टों के प्रसार के लिए कार्यान्वयन किया गया है। भू-लक्षित क्षेत्रों में चेतावनियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में भेजी जातीं हैं। चेतावनियों का अनुमोदन देने/संपादित करने और उनके प्रसार के लिए मीडिया चुनने के लिए आपदा प्रबंधकों हेतु एक वेब आधारित डैशबोर्ड है। हाल की आपदाओं में इस प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। इस प्रणाली का उपयोग करके अब तक 4300 करोड़ से अधिक अलर्ट प्रसारित किए जा चुके हैं।

- प्रधानमंत्री के 'देश भर में सभी आपात स्थितियों के लिए एकल आपातकालीन नंबर' के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए, मौजूदा एकल नंबर "112" के साथ "ईआरएसएस का विस्तार" परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है, जो आपदाओं से संबंधित आपातकालीन कॉल को भी पूरा करता है। इस परियोजना को आपदा से संबंधित आपातकालीन कॉलों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके।

- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के अंतर्गत तटीय राज्यों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, जो हाल के चक्रवातों के दौरान तटीय समुदाय में चेतावनी प्रसारित करने में बहुत मददगार सिद्ध हुई हैं।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 2470, दिनांक 10.12.2024

- एनसीआरएमपी के तहत, विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास के 24,007 सरकारी अधिकारियों को 925 क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। 68,988 सामुदायिक प्रतिनिधियों को 3,421 आश्रय स्तर प्रशिक्षणों के माध्यम से विभिन्न आपदा प्रतिक्रिया कौशल जैसे प्राथमिक चिकित्सा, खोज और बचाव और आश्रय प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया गया है।

- एनडीएमए ने चक्रवात जोखिम शमन और मोचन के लिए एक वेब-आधारित डायनेमिक कम्पोजिट रिस्क एटलस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (वेब-डीसीआरए और डीएसएस टूल) विकसित किया है। इस उपकरण का उपयोग हाल के चक्रवातों जैसे बिपरजॉय (जून, 2023) और चक्रवात मिचौंग (दिसंबर, 2023) में सफलतापूर्वक किया गया है।

- भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (IUINDRR-NIDM) की स्थापना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के तत्वावधान में, आपदा रेज़ीलिएस में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की भूमिका को उजागर करने के साथ डीआरआर के लिए मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करने और विभिन्न स्तरों पर इसके एकीकरण के लिए की गई है। IUINDRR शिक्षा और नीति के बीच इंटरफेस के लिए एक मंच प्रदान करता है।यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ज्ञान उत्पादों के सहयोगात्मक विकास के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अब तक 300 से अधिक विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क में शामिल हुए हैं।

- एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन/मोचन के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) के संबंध में सामुदायिक आपदा जागरूकता पर नियमित रूप से मॉक अभ्यास संचालित करता है। एनडीआरएफ भारत के सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के असुरक्षित विद्यालयों में बच्चों को आपदा मोचन पर प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) भी संचालित करता है।

- एनडीएमए ने विभिन्न विषयगत और क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर जोखिम विशिष्ट आपदा के प्रबंधन के लिए अट्ठतीस (38) दिशानिर्देश जारी किए हैं।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 2470, दिनांक 10.12.2024

(ख) से (घ): जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राज्य सरकारें बाढ़ और भूस्खलन सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार की अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही अपने पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं।

हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है न कि मुआवजे के लिए।

पिछले तीन वर्षों यानी 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान केरल राज्य को एसडीआरएफ / एनडीआरएफ से आवंटन और जारी निधि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	एसडीआरएफ के तहत आवंटन			एसडीआरएफ के तहत जारी केंद्रीय हिस्सेदारी
	केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	
2021-22	251.20	84.00	335.20	251.20
2022-23	264.00	88.00	352.00	264.00
2023-24	277.60	92.00	369.60	277.60

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एसडीआरएफ के तहत केरल राज्य को 388.00 करोड़ रुपये (291.20 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 96.80 करोड़ रुपये राज्य हिस्सा) की राशि आवंटित की गई है। केंद्रीय हिस्से की 145.60 करोड़ रुपये की पहली किस्त 31.07.2024 को जारी की गई। 01.10.2024 को राज्य को अग्रिम रूप से केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के 145.60 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी गई। इसके अलावा, महालेखाकार, केरल ने 1 अप्रैल, 2024 तक अपने एसडीआरएफ खाते में 394.99 करोड़ रुपये की शेष राशि की सूचना दी। इस प्रकार, राहत कार्यों के लिए राज्य के एसडीआरएफ खाते में 782.99 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 2470, दिनांक 10.12.2024

इसके अलावा, केरल के वायनाड में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर, केरल राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना केंद्र सरकार द्वारा नुकसान का आकलन करने के लिए 02.08.2024 को एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया गया था। आईएमसीटी ने 8 अगस्त से 10 अगस्त, 2024 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वायनाड में आई वर्तमान आपदा को आईएमसीटी द्वारा 'गंभीर प्रकृति' का माना गया है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रकृति की अस्थायी राहत सहायता प्रदान करने के लिए 19 अगस्त 2024 को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें एनडीआरएफ के तहत मलबे को हटाने के लिए अनुमानित 36 करोड़ रुपये सहित, 214.68 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी गई, जिस पर अभी खर्च होना था। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 16 नवंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 153.47 करोड़ रुपये (एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन) की राशि, बचाव और राहत के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के हेलीकॉप्टरों के हवाई बिल, वास्तविक के अनुसार, और मलबा हटाने के लिए वास्तविक व्यय, की मंजूरी दी।

इसके अलावा, राज्य द्वारा आपदा-पश्चात-आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) किया गया है, जिसमें रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए 2219.033 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकार की रिपोर्ट 13 नवंबर, 2024 को केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने पीडीएनए रिपोर्ट की जांच के लिए एक बहु-क्षेत्रीय टीम का गठन किया है और रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देशों , जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं, के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है।

***